



आईआरडीएआई/पीपी&जीआर/सीआईआर/विविध/37/02/2025

IRDAI/PP&GR/CIR/MISC/37/02/2025

फरवरी / February 18, 2025

परिपत्र  
Circular

सेवा में / To,  
सभी बीमाकर्ता और वितरण माध्यम  
All Insurers and Distribution Channels

विषय: जीवन और स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के निर्गम हेतु एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई मैंडेट) के माध्यम से प्रीमियम के लिए राशि को अवरुद्ध करने के लिए एकबारगी (वन-टाइम) अधिदेश – बीमा-एएसबीए

**Sub: One-time Mandate for blocking the amount towards premium through Unified Payments Interface (UPI mandate) for issuance of life and health insurance policies- Bima-ASBA**

1. जीवन बीमा पालिसियों और स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के लिए क्रमशः संदर्भ संख्या आईआरडीएआई / पीपीएण्डजीआर / सीआईआर / विविध /117 / 9 /2024 दिनांक 5 सितंबर, 2024 भाग क (II) (4) और भाग ख (II) (3) से युक्त पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण संबंधी मास्टर परिपत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनमें “प्रीमियम / प्रीमियम जमा के संबंध में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया गया है:

Reference is drawn to Master Circular on Protection of Policyholders' Interests numbering IRDAI / PP&GR / CIR / MISC / 117 / 9 / 2024 dated 5th September 2024 Part A (II) (4) and Part B (II) (3) for Life insurance policies and Health insurance policies, respectively wherein, the following is specified as regards “*Payment of premium / Premium deposit*:

i. प्रीमियम का भुगतान केवल प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय बीमाकर्ता द्वारा सूचित किये जाने पर ही करने की आवश्यकता है।

*Premium is required to be paid only after the insurer communicates the decision of acceptance of the proposal.*

ii. जोखिम कवर केवल प्रीमियम की प्राप्ति के बाद ही प्रारंभ होगा।

*Risk Cover shall commence only after receipt of premium.*

iii. प्रस्ताव फार्म के साथ बीमाकर्ता को कोई प्रीमियम जमा / प्रस्ताव जमा का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, उन पालिसियों के मामले को छोड़कर जो अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा के आधार पर जारी की जाती हैं जहाँ जोखिम कवर प्रीमियम की प्राप्ति के बाद तत्काल प्रारंभ होता है। प्रीमियम के अल्प अथवा अधिक संग्रहण की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

*No premium deposit/proposal deposit is required to be paid to the insurer along with the proposal form except in case of policies issued basis declaration of good health where risk cover commences immediately on receipt of premium. There should not be scope for either short or excess collection of premium.*

iv. बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि बैंक खाते से प्रीमियम भुगतान के लिए राशि की कटौती के लिए संभावित ग्राहक / पालिसीधारक से सुस्पष्ट सहमति प्राप्त की जाएगी।"

*Insurers shall ensure that explicit consent is obtained from the prospect /policyholder for deduction of amount towards premium payment from bank account."*

2. इस संदर्भ में, इस अपेक्षा को पूरा करने में परिचालनगत सुगमता लाने के लिए बीमाकर्ताओं से आईआरडीएआई द्वारा प्राप्त किये गये अनुरोधों / अभ्यावेदनों के आधार पर, प्रीमियम के भुगतान के सुचारु लेनदेनों को सुसाध्य बनाने के लिए बीमाकर्ताओं के द्वारा प्रयुक्त किये जाने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) एकबारगी अधिदेश (ओटीएम) की एक सुविधा समर्थ बनाई गई है। यह विशेषता वास्तविक भुगतानों को आस्थगित करते समय निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए, विशिष्ट लेनदेनों हेतु उनके बैंक खातों में निधियों को अवरुद्ध (ब्लाक) करने के लिए प्रयोक्ताओं को अनुमति देती है। यह सेवा बहुविध परिवर्शयों में उपयोगी है जहाँ ग्राहक अधिक सुचारु लेनदेन प्रसंस्करण को सुसाध्य बनाते हुए तत्काल नामे किये बिना निधियों को अवरुद्ध (ब्लाक) करने को प्राधिकृत करने के लिए वरीयता देता है।

In this context, based on the requests/ representations received by IRDAI from the insurers towards bringing about operational ease in meeting with this requirement, to facilitate smooth transactions of payment of premium, a facility of the Unified Payments Interface (UPI) One Time Mandate (OTM) is enabled to be used by insurers. This feature allows users to block funds in their bank accounts for specific transactions, ensuring availability of funds while deferring actual payments. This service is useful in multiple scenarios where the customer prefers to authorize a block on funds without immediate debits, facilitating smoother transaction processing.

3. “अवरुद्ध राशि के द्वारा समर्थित बीमा आवेदन (बीमा - एएसबीए)” कहलानेवाली इस सुविधा के अंतर्गत संभावित ग्राहक से धनराशि का अंतरण केवल तभी होता है जब बीमा पालिसी जारी की जाती है। इस सुविधा में, बीमाकर्ता संबंधित संभावित ग्राहक के बैंक खाते में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से कुछ राशि को अवरुद्ध करने के लिए एकबारगी अधिदेश दे सकते हैं। बीमा प्रीमियम के लिए राशि केवल बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय करने के बाद ही नामे डाली जाएगी। यदि बीमाकर्ता प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, तो उक्त राशि की अवरुद्ध स्थिति हटाई जाएगी और उसका निर्माचन किया जाएगा तथा वह संभावित ग्राहक के उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।

Under this facility called the **“Bima Applications Supported by Blocked Amount (Bima - ASBA)”** transfer of money from the prospect to the insurer happens only when insurance policy is issued. In this facility, insurers can offer one-time mandate for blocking certain amount through Unified Payment Interface (UPI) in the bank account of the concerned prospect. Amount towards insurance premium will be debited only after the insurer decides to accept the proposal. In case the insurer does not accept the proposal, the amount shall be unblocked and shall be released and shall be available at the disposal of the prospect.

4. बीमाकर्ताओं को अधिदेश (मैंडेट) दिया गया है कि वे जीवन और स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के लिए अपने संभावित ग्राहकों को बीमा – एएसबीए सुविधा दें।

Insurers are mandated to offer Bima - ASBA facility to its prospects for life and health insurance policies.

5. बीमाकर्ता एक मानक घोषणा के माध्यम से प्रस्ताव फार्म में एक विकल्प उपलब्ध कराएँगे, जिसके द्वारा संभावित ग्राहक यूपीआई के माध्यम से अपने बैंक खाते में राशि को अवरुद्ध (ब्लाक) करने के लिए बीमाकर्ता को प्राधिकृत कर सकता है। दोनों जीवन बीमा और साधारण बीमा परिषदें, इस परिपत्र के निर्गम की तारीख से एक सप्ताह के अंदर उक्त प्राधिकरण (आथराइजेशन) को लेने के लिए, प्रस्ताव में शामिल करने के लिए मानक घोषणा जारी करेंगी।

Insurers shall provide an option in the proposal form, through a standard declaration, whereby the prospect may authorize the insurer to block the amount in their bank account through UPI. Both Life insurance and General Insurance Councils, within one week from the date of issuance of this circular, shall issue standard declaration to be included in the proposal for taking the authorization.

6. बीमा-एएसबीए संभावित ग्राहक के विकल्प पर होगा। कोई भी प्रस्ताव इस कारण से अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि संभावित ग्राहक ने बीमा-एएसबीए के लिए विकल्प नहीं दिया है।

Bima-ASBA shall be at the option of the prospect. No proposal shall be rejected for the reason that the prospect has not opted for Bima-ASBA.

7. यह प्रीमियम भुगतान सुविधा, बीमा-एएसबीए, संभावित ग्राहकों को आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण, बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध विषय) विनियम, 2024 के विनियम 16(2) में यथाविनिर्दिष्ट प्रीमियम का भुगतान करने के लिए उपलब्ध वर्तमान विकल्पों के अतिरिक्त दी जाएगी।

This premium payment facility, Bima-ASBA, shall be offered to the prospects in addition to the existing options available for making payment of premium as specified in Regulation 16 (2) of IRDAI (Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024.

8. बीमाकर्ता अनेक बैंकों के साथ भागीदारी करेगा तथा उपयुक्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ लागू करेगा एवं भागीदार बैंकों के साथ आवश्यक संविदागत करार करेगा ताकि:

The insurer shall partner with multiple banks and shall have appropriate systems and processes in place and necessary contractual agreements with the partner banks so that:

- i. यूपीआई के माध्यम से एकबारगी (वन-टाइम) अधिदेश निर्मित किया जाएगा:  
One-time mandate through UPI shall be created:
  - क) केवल बीमाकर्ता के नाम।
    - a) Only in favour of the insurer.  
ख) संभावित ग्राहक लागू उपबंधों और विधियों के अनुसार एकबारगी (वन-टाइम) अधिदेश के माध्यम से अधिप्रमाणन करे।
    - b) Prospect authenticates through one-time mandate, as per the applicable provisions and laws.
    - ग) अधिकतम 14 दिन की विधिमान्य अवधि के साथ अथवा जोखिम-अंकन के निर्णय की तारीख तक, जो भी पहले हो।
    - c) With a valid period of maximum 14 days or till the date of the underwriting decision, whichever is earlier.

ii. बीमा-एएसबीए के अंतर्गत इस प्रकार अवरुद्ध की गई राशि की अवरुद्धता समाप्त की जाएगी:

The amount so blocked under Bima-ASBA shall be unblocked:

क) निधियों की प्रारंभिक अवरुद्धता की तारीख से 14 दिन की समाप्ति के बाद अपने आप।

a) Automatically after expiry of 14 days from the date of initial blocking of funds.

ख) प्रस्ताव फार्म की अस्वीकृति की तारीख से एक कार्य-दिवस के अंदर।

b) within one working day from the date of non-acceptance of the proposal form;

iii. बीमा-एएसबीए के प्रत्येक स्तर पर अर्थात् राशि की अवरुद्धता, नामे का प्रारंभ (चाहे अंशतः हो या पूर्णतः) तथा राशि की अवरुद्धता को हटाने पर, संभावित ग्राहक को सूचित किया जाएगा ताकि निधियों की अवरुद्धता और अवरुद्धता को हटाने के संबंध में सूचना संभावित ग्राहक को समय पर दी जा सके।

The prospect shall be kept informed at every stage of the Bima-ASBA i.e. blockage of the amount, initiation of debit (whether in part or in full) and the unblocking of the amount so that timely information on blocking and unblocking of funds is provided to the prospect.

iv. संभावित ग्राहक से ऐसे अधिदेश के निर्माण के लिए कोई प्रभार अथवा किसी भी अतिरिक्त राशि की उगाही नहीं की जाएगी।

No charges or any additional amount shall be levied for creation of such mandate from the prospect.

v. भागीदार बैंक बीमाकर्ता के साथ मासिक आधार पर बीमाकर्ता के नाम निर्मित एकबारगी (वन-टाइम) अधिदेश के विवरण की साझेदारी करेगा।

The partner bank shall share with insurer, the details of the One-Time Mandate created in favour of the insurer, on a monthly basis.

## 9. बीमाकर्ता का दायित्व / Obligation of the Insurer

i. प्रीमियम की अवरुद्ध की गई राशि संभावित ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव फार्म के संदर्भ में विशिष्ट होगी। एक से अधिक प्रस्ताव फार्मों की स्थिति में बीमा-एसबीए सुविधा प्रत्येक प्रस्ताव फार्म के लिए अलग-अलग दी जाएगी।

The amount of premium blocked shall be specific to the proposal form made by the prospect. In case of multiple proposal forms, Bima-ASBA facility shall be offered separately for each proposal form.

ii. राशि की अवरुद्धता केवल प्रस्ताव फार्म में संभावित ग्राहक की सुस्पष्ट सहमति के आधार पर ही होगी। यदि अवरुद्ध की गई प्रारंभिक प्रीमियम की राशि बीमाकर्ता के जोखिम-अंकन संबंधी निर्णय के कारण बीमाकर्ता द्वारा संगृहीत प्रीमियम से अधिक है, तो बीमाकर्ता इस सुविधा के माध्यम से केवल घटाई गई राशि का ही संग्रहण करेगा।

Blocking of the amount shall only be on the basis of the explicit consent of the prospect in the proposal form. In case the amount of initial premium blocked is more than the premium to be collected by the insurer due to its underwriting decision, then the insurer shall only collect the reduced amount through this facility.

iii. जहाँ प्रभारित किया जानेवाला प्रीमियम अवरुद्ध राशि से अधिक है, वहाँ बीमाकर्ता उक्त सुविधा का उपयोग संभावित ग्राहक से एकबारगी सहमति / प्राधिकरण के माध्यम से ऐसे अधिदेशों का आशोधन करने के लिए करेगा।

Where the premium to be charged is more than the blocked amount, then the insurer shall use the facility to modify such mandates through one-time consent / authorization from the prospect.

iv. मूल अधिदेश में आशोधन की अनुमति केवल एक बार दी जाएगी तथा ऐसे आशोधन के लिए 14 दिन की समयावधि निधि को अवरुद्ध करने के लिए मूल अधिदेश की तारीख से होगी।

Modification in the original mandate shall be allowed only one time and the time period of 14 days for such modification shall be from the date of original mandate for blocking the fund.

v. राशि को लागू उपबंधों और विधियों के अनुसार केवल संभावित ग्राहक से आवश्यक सहमति लेने के बाद ही अवरुद्ध किया जाएगा।

Blocking of the amount shall only be done after taking necessary consent from the prospect as per applicable provisions and laws.

vi. यदि संभावित ग्राहक बीमाकर्ता के जोखिम-अंकन संबंधी निर्णय से पहले, अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव फार्म को निरस्त करना चाहता है, तो संभावित ग्राहक बीमाकर्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से अनुरोध करेगा। बीमाकर्ता उक्त अनुरोध को स्वीकार करेगा तथा अनुरोध के दिन से एक दिन के अंदर अवरुद्ध राशि का निर्मोचन करेगा।

In case the prospect intends to cancel the proposal form submitted, before the underwriting decision of the insurer, the prospect shall make the request through the various modes provided for this purpose by the Insurer. Insurer shall accept the request and release the blocked amount within one day from the day of request.

vii. जोखिम प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख से, संभावित ग्राहक के खाते से नामे डाले जाने के बावजूद प्रारंभ होगा, यदि बीमा-एएसबीए का उपयोग किया गया हो।

The risk shall commence from the date of acceptance of the proposal irrespective of the debit from the account of the prospect, in case Bima-ASBA is utilized.

viii. बीमाकर्ता सभी आवश्यक अभिलेखों और सूचना का अनुरक्षण करेगा जो उसके पक्ष में निर्मित अधिदेशों के बारे में अनुपालन की पुष्टि करती है तथा वह प्राधिकरण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

Insurer shall maintain all necessary records and information that confirms compliance about the mandates created in its favour and shall be available for inspection by the Authority.

ix. बीमा-एएसबीए के उपयोग और परिचालन के संबंध में किसी भी त्रुटि या भूल-चूक के लिए बीमाकर्ता उत्तरदायी होगा।

The insurer shall be responsible for any error or omission on usage and operation of Bima-ASBA.

**10. यूपीआई के माध्यम से एकबारगी (वन-टाइम) अधिदेश के लिए प्रक्रिया**  
**Procedure for One-time Mandate through UPI**

i. बीमाकर्ता को सीधे अथवा वितरण माध्यम के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव फार्म प्रीमियम भुगतान के लिए बीमा-एसबीए सुविधा हेतु विकल्प देनेवाली विधिवत् भरी गई मानक घोषणा से युक्त होगा जो संभावित ग्राहक के बैंक खाते से प्रीमियम राशि को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है;

The proposal form submitted to the insurer either directly or through distribution channel shall have duly filled in standard declaration opting for Bima-ASBA facility for premium payment which permits blocking of premium amount in the bank account of the prospect;

ii. बीमाकर्ता एनपीसीआई द्वारा दी गई सुविधा का उपयोग करनेवाले अपने भागीदार बैंकों में से किसी एक भागीदार बैंक के माध्यम से संभावित ग्राहक के बैंक को प्रीमियम राशि को अवरुद्ध करने के लिए अनुरोध भेजेगा;

The insurer shall send the request for blocking the premium amount to the prospect's bank through any one of its partner banks utilizing the facility offered by NPCI;

iii. संभावित ग्राहक से सुस्पष्ट सहमति प्राप्त करने के बाद, संभावित ग्राहक का बैंक संभावित ग्राहक के बैंक खाते में निधियों को अवरुद्ध करेगा तथा भागीदार बैंक को यूपीआई के माध्यम से सूचित करेगा। भागीदार बैंक यह सूचना आगे बीमाकर्ता को पहुँचाएगा जो फिर यह सूचना आगे संभावित ग्राहक को देगा;

On obtaining express consent from the prospect, the prospect's bank shall block the funds in the bank account of the prospect and inform the partner bank through UPI. The partner bank shall then pass on this information to the insurer who shall further pass on to the prospect;

iv. प्रीमियम के लिए इस प्रकार अवरुद्ध की गई राशि नामे डाले बिना संभावित ग्राहक के बैंक खाते में लगातार बनी रहेगी। इस प्रकार अवरुद्ध की गई राशि संभावित ग्राहक के लिए किसी अन्य उपयोग हेतु तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक जोखिम-अंकन का निर्णय नहीं किया जाता अथवा अधिकतम 14 दिन की अवधि के अंदर निर्णय नहीं होता, इन दोनों में से जो भी पहले हो, तथा बैंकों के लिए लागू वर्तमान विधिक उपबंधों के अनुसार ब्याज का अर्जन करना जारी रह सकता है;

The amount so blocked towards premium shall continue to remain in the bank account of the prospect without being debited. Such blocked amount shall not be available to the prospect for any other use till such time the underwriting decision is made or 14 days whichever is earlier and may continue to earn interest as per the extant legal provisions applicable to banks;

v. उपर्युक्त अवरुद्ध राशि बैंक खाते से केवल तभी नामे डाली जाएगी, जब बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की जाएगी तथा संभावित ग्राहक को स्वीकृति के निर्णय की सूचना दी जाएगी;

The said blocked amount shall be debited from the bank account only in case of acceptance of the proposal by the insurer and after communicating the decision of acceptance to the prospect;

vi. बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-अंकन / प्रस्ताव की स्वीकृति करने के बाद, बीमाकर्ता भागीदार बैंक को संभावित ग्राहक के बैंक खाते में अवरुद्ध राशि से प्रीमियम राशि को नामे डालने और वह राशि बीमाकर्ता के बैंक खाते में अंतरित करने के लिए अनुदेश देगा;

Upon the insurer underwriting / acceptance of the proposal, the insurer shall instruct the partner bank to debit the premium amount from the blocked amount in the bank account of the prospect and transfer the same to the bank account of the insurer;

vii. यदि प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है अथवा यदि संभावित ग्राहक प्रस्ताव को निरस्त करता है, तो बीमाकर्ता भागीदार बैंक को अनुदेश भेजेगा कि वह अवरुद्ध राशि का निर्मोचन करे। अवरुद्ध राशि के संबंध में तब संभावत ग्राहक के बैंक द्वारा किसी कटौती के बिना अवरुद्धता को निरस्त किया जाएगा;

If the proposal is rejected or if the prospect cancels the proposal, the insurer shall send an instruction to the partner bank to release the blocked amount. The blocked amount is then unblocked by the prospect's bank without any deduction;

viii. किसी भी स्थिति में, यदि बीमाकर्ता 14 दिन की अवधि के अंदर आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता, तो अवरुद्ध राशि बीमाकर्ता द्वारा भागीदार बैंक के माध्यम से स्वतः अवरुद्धता से मुक्त हो जाएगी। In any case, if the insurer does not process the application within a period of 14 days, the blocked amount will be automatically unblocked through the partner bank by the insurer.

11. बीमाकर्ताओं को समय-समय पर एनपीसीआई द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक प्रीमियम को अवरुद्ध करने के लिए बीमा-एएसबीए व्यवस्था का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

The insurers are allowed to use Bima-ASBA mechanism for blocking of premium up to the limit specified by NPCI from time to time.

12. वर्तमान में, बीमा-एएसबीए की सुविधा वैयक्तिक पालिसीधारकों को दी गई है।

At present, the facility of Bima-ASBA is extended to individual policyholders.

13. सभी बीमाकर्ता कार्रवाई प्रारंभ करेंगे तथा बीमा-एएसबीए सुविधा संभावित ग्राहक या ग्राहक को 1 मार्च, 2025 को या उससे पहले प्रदान करेंगे।

All insurers shall go live and offer Bima-ASBA facility to the prospect or customer on or before 1<sup>st</sup> March 2025.

14. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

This has the approval of the Competent Authority.

आर. के. शर्मा / R K Sharma  
मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager